<u>न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– IVth</u>
(प्रस्तुतकर्ता– संजय कुमार, चतुर्थ)
<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 3107/2026</u>
<u>महकार, थाना कांड संख्या– 73/2026</u>
बिहार राज्य
बनाम्
<u>कोपिन्द्र यादव उर्फ कोपिन्द्र कुमार एवं अन्य</u>
<u>अंतर्गत धारा– 190, 191(2), 115(2), 74, 352, 303(2), 351(2) बी0एन0एस0</u>

<u>आदेश</u>

<u>06.08.2026</u> अभियुक्तगण 01. **कोपिन्द्र यादव उर्फ कोपिन्द्र कुमार, उम्र–34 वर्ष, पिता–रामवृक्ष यादव,** 02. **चमेली देवी, उम्र–31 वर्ष, पति–कोपिन्द्र यादव उर्फ कोपिन्द्र कुमार** 03. **संगीता देवी, उम्र–34 वर्ष, पति–संजीत यादव उर्फ संजीव कुमार,** 04. **रामवृक्ष यादव, उम्र–61 वर्ष, पति–किशुन यादव, सभी साकिन–ग्राम–फतेहपुर, थाना–महकार, जिला–गयाजी** की ओर से दिनांक 22.07.2026 को दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को संचालित किया गया। वाद पुकार पर उभयपक्ष उपस्थित हुए। उभयपक्ष का जमानत के बिन्दु पर सुना। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी अभियुक्तगण के विरुद्ध यह मुकदमा महकार थाना में लाया गया है। प्रार्थीगण संबंधित थाना कांड संख्या के नामजद अभियुक्त हैं तथा पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की आशंका है। प्रार्थी अभियुक्तगण ने इस जमानत आवेदन से पूर्व किसी प्रकार का नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय या किसी वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया है। प्रार्थी अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
संक्षेप में अभियोजन वाद निम्न प्रकार हैः–

सूचिका बगुल देवी पति धनंजय यादव, ग्राम फतेहपुर, थाना महकार, जिला गयाजी ने अपने लिखित आवेदन में थानाध्यक्ष महकार के समक्ष यह कथन किया है कि मेरे जमीन में से ट्रैक्टर से मिट्टी कटवाकर ले जाया जा रहा था। मैं अपने जमीन से मिट्टी काटते हुए देखी, जब मैंने मिट्टी काटने से रोका तब धर्मेन्द्र यादव पिता सोहन यादव ने मेरे साथ गाली–गलौज एवं मुक्का, डंडा से मारपीट किया जिससे मेरा माथा फट गया। मैं उस वक्त बच्ची को गोद में ली हुई थी जिससे बच्ची का भी माथा फट गया। जब बीच–बचाव में मेरे घर के लोग आये तब धर्मेन्द्र यादव ने मेरे कान की बाली और मंगलसूत्र छीन लिया। कोपिन्द्र यादव, संजीव यादव, रामवृक्ष यादव, टुनटुन यादव, सूरज कुमार, संगीता देवी, चमेली देवी, मंजू देवी, प्रतिमा देवी, सुरुचि कुमारी ये सभी लोग लड़ाई में शामिल हैं।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि प्रार्थीगण पूर्णतः निर्दोष हैं तथा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण को भूमि विवाद एवं पूर्व की दुश्मनी के कारण इस वाद में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप लगाया गया है कि वह घटना में शामिल थे, जबकि सह–अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव ने

<u>न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– IVth</u>
(प्रस्तुतकर्ता– संजय कुमार, चतुर्थ)
<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 3107/2026</u>
<u>महकार, थाना कांड संख्या– 73/2026</u>
बिहार राज्य
बनाम्
<u>कोपिन्द्र यादव उर्फ कोपिन्द्र कुमार एवं अन्य</u>
<u>अंतर्गत धारा– 190, 191(2), 115(2), 74, 352, 303(2), 351(2) बी0एन0एस0</u>

सूचिका एवं उसकी पुत्री के साथ मारपीट की। दिनांक 13.05.2026 को लगभग 08:30 बजे वर्तमान वाद की सूचिका के परिवार के सदस्यों ने कोपिन्द्र यादव को जान मारने की नीयत से हमला किया, जब संगीता देवी बचाने आयी तब अभियोजन पक्ष ने उनके साथ भी मारपीट की, इस संबंध में कोपिन्द्र यादव ने महकार थाना कांड संख्या 72/2026 के अंतर्गत अभियोजन पक्ष के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। आवेदकों के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है, केवल घटना में शामिल होने का आरोप है। प्रार्थी अभियुक्तगण के विरुद्ध बी0एन0एस0 की धारा 74 तथा 303(2) को छोड़ सभी धाराएं जमानतीय प्रकृति की हैं। प्रार्थी अभियुक्तगण श्रीमान् के आदेशानुसार युक्ति–युक्त संतोषप्रद जमानतदार दाखिल करने को तैयार हैं तथा बी0एन0एस0एस0 की धारा 482(2) के अंतर्गत निर्धारित सभी शर्तों का पालन करने को तैयार हैं। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

विद्वान अपर लोक अभियोजक महोदय के द्वारा जमानत का विरोध किया गया एवं कथन किया गया है कि संबंधित वाद सूचिका के जमीन से मिट्टी काटने एवं प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों द्वारा मिलकर सूचिका सह पीड़िता के साथ गाली–गलौज, मुक्का तथा डंडा से मारपीट एवं कान की बाली तथा गले से मंगलसूत्र छीनने का मामला है, जिसमें पीड़िता बुरी तरह जख्मी हो गयी और उसका माथा फट गया। अतः जमानत खारिज करने की कृपा की जाय।

उभयपक्ष का तर्कपूर्ण बहस सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अग्रिम जमानत आवेदन की कंडिका 03 एवं कांड दैनिकी की कंडिका 30 में प्रार्थी अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रस्तुत वाद का एक पलटा वाद, जो कि पूर्व में आवेदक कोपिन्द्र यादव के द्वारा इस वाद की सूचिका वगैरह पर महकार थाना कांड संख्या 72/26 के माध्यम से संस्थित कराया गया था जिसमें आवेदक कोपिन्द्र यादव बुरी तरह जख्मी हो गये थे। प्रस्तुत वाद में सूचिका द्वारा लगाये आरोप सामान्य प्रकृति के हैं जिसमें जख्म शरीर के किसी मार्मिक पर कारित नहीं किया गया है। अतः अभियुक्तगण को यह निर्देश दिया जाता है कि संबंधित न्यायालय में आत्मसमर्पण करें तथा न्यायालय गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण की स्थिति में **10000x2** के एकसमान प्रतिभुओं का बंधपत्र दाखिल करने पर उन्हें दं0प्र0सं0 की धारा 482 की उपधारा (2) की शर्तों के अधीन **मुक्त** करें तथा प्रार्थीगण **कोपिन्द्र यादव**

<u>न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– IVth</u>
(प्रस्तुतकर्ता– संजय कुमार, चतुर्थ)
<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 3107/2026</u>
<u>महकार, थाना कांड संख्या– 73/2026</u>
बिहार राज्य
बनाम्
<u>कोपिन्द्र यादव उर्फ कोपिन्द्र कुमार एवं अन्य</u>
<u>अंतर्गत धारा– 190, 191(2), 115(2), 74, 352, 303(2), 351(2) बी0एन0एस0</u>

उर्फ कोपिन्द्र कुमार, चमेली देवी, संगीता देवी, रामवृक्ष यादव अनुसंधान के दौरान अनुसंधानकर्ता को तथा विचारण के दौरान न्यायालय को सहयोग करेंगे। एक जमानतदार प्रार्थी अभियुक्तगण के नजदीकी रिश्तेदार होंगे।

Sd/-
(संजय कुमार)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ
गयाजी।

ज्ञापांक दिनांक
प्रतिलिपि :– सुश्री शिखा प्रिया, विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्र0श्रे0, गयाजी को आवश्यक सूचनार्थ एवं कार्यार्थ हेतु प्रति प्रेषित।

Sd/-
(संजय कुमार)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ
गयाजी।

आदेश की तिथि	06-08-2026
आदेश सुरक्षित किये जाने की तिथि	N/A
अपलोड किये जाने की तिथि	12-08-2026
अपलोडकर्ता	रमेश ठाकुर (आशुलिपिक)